न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **06/2015** दायर तारीख :– **10.06.2015**

1- सम्पत्ति देवी पत्नि मातादीन
2- बिरदी देवी पत्नि भागीरथ
3- पालाराम पुत्र भूरा
4- छोटी देवी पत्नि नारायण
5- धूणीलाल } पुत्रान नारायण
6- रतनलाल
7. शांती देवी } पुत्रीयान नारायण
8. सारली देवी
9. मंगली पत्नि हनुमान
10. सुरेश } पुत्रान हनुमान
11. रोहिताश
12. राकेश पुत्र हरिराम जरिए माता

समस्त जाति बलाई निवासी लुहाकना कलां तहसील विराटनगर

—: *प्रार्थीगण*

बनाम

1. ललिता देवी पत्नि बाबूलाल
2. गणेश पुत्र बाबूलाल
3. अनिता } पुत्री बाबूलाल
4. किरण
5. मदनलाल } पुत्रान बद्रीप्रसाद
6. बिहारीलाल
7. गुलझारी लाल
8. शान्ति पत्नि मुरारीलाल
9. ललितकिशोर } पुत्रान मुरारीलाल
10. कमल
11. भवानी
12. विष्णु
13. महेन्द्र
14. पिस्ता } पुत्रीयान मुरारीलाल
15. अंगूरी
16. मुन्नी
17. मनभर
18. बनारसी
19. सुनिता
20. प्रभूदयाल } पुत्रान सुवालाल
21. सत्यनारायण
22. ललित कुमार
23. पूरणमल
24. रेवती देवी पत्नि मोहनलाल
25. महेश कुमार } पुत्रान मोहनलाल
26. गिर्राज कुमार
27. मुकेश कुमार
28. सतीश कुमार
29. राजेश } पुत्रान निरंजन
30. अनिल
31. लक्ष्मीनारायण } पुत्रान गणपतराम
32. रमाकान्त
33. नन्दकिशोर
34. अरूण कुमार

समस्त जाति ब्राह्मण

35. श्रवण देवी पत्नि मोहन
36. सुरेश } पुत्रान मोहन, जाति धानका
37. मुकेश

समस्त निवासी लुहाकना कलां, तहसील विराटनगर, जयपुर

38. प्रेम देवी पुत्री गोरा जाति गुर्जर नि. लुहाकना कलां तहसील विराटनगर

— *अप्रार्थीगण*

[signature] 27/9/12

उपखण्ड अधिकारी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान अभिधृत अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1)</u>

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय दिनांक :– 27/9/12</u>

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (1) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम लुहाकना कलां के हाल आराजी खसरा नम्बर 1647/1735/0.51, 1647/1737/0.51, 1647/1738/0.36, 1647/1736/0.36, 1647/1739/0.51, 1647/1740/0.36, 1157/1647/0.02 हैक्टेयर में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 1190/0.44, 1726/1191/0.6[illegible] 1184/0.42, 1160/1.40, 1185/0.21, 1186/0.66, 1269/0.93 मे से रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थी के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।
2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 207, 104, 109, 173, 79, 184, 1 संवत् 2065–2068 आदि पेश किये।
3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।
4. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। मुतार्[illegible]क जमाबन्दी संवत् 2065–2068 खाता संख्या 207 में दर्ज खसरा न[illegible]र 1647/1735/0.51 हैक्टेयर सम्पत्ति देवी पत्नि मातादीन, बिरदी दुवी प[illegible]त भागीरथ के नाम, खसरा नम्बर 1157/1647/0.02 हैक्टेयर पाला पुत्र भूरा हिस्सा 1/3, मंगली पत्नि हनुमान, सुरेश, रोहिताश पिता हनुमान हिस्सा 1/4, राकेश पुत्र हरिराम हिस्सा 1/12, सम्पत्ति देवी पत्नि मातादीन, बिरदी देवी पत्नि भागीरथ हिस्सा 1/6, नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 16.12.2010 विरासत से नारायण पुत्र भूरा हिस्सा 1/6 छोटी देवी पत्नि नारायण, धूणीलाल, रतनलाल पुत्र नारायण, शान्ती देवी, सारली देवी पुत्री नारायण हिस्सा 1/6 के नाम, खसरा नम्बर 1163 प्रेम देवी पुत्री जोरा हिस्सा 1/2, राजू पुत्र काना हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1647/1735, 1647/1737, 1647/1738, 1647/1736, 1647/1739,

27/9/12

1647/1740, 1157/1647 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 1190, 1726/1191, 1184, 1160, 1185, 1186, 1269 जो अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, मे से रास्ता चाहा गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि प्रार्थी के आवाजाही हेतु चाहे गये रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है तथा निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि मे से है। तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट मय निकटतम सुलभ रास्ते का प्रस्ताव चाहा गया।

5. मुताबिक तहसीलदार विराटनगर से प्रस्ताव सिवायचक गैरमुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 1269 जो लुहाकना कलां की विराटनगर जाने वाली सडक से लगता हुआ है, उससे खसरा नम्बर 1190/0.44 हैक्टेयर मे से 88x3=264 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 1726/1191/0.64 हैक्टेयर मे से 100x3=300 वर्गमीटर कुल रकबा 564 वर्गमीटर खातेदार श्रवण देवी पत्नि मोहन, सुरेश, मुकेश पुत्रान मोहन एवं खसरा नम्बर 1184/0.42 हैक्टेयर मे से 60x3=180 वर्गमीटर की खातेदारी प्रेम देवी पुत्री जोरा हिस्सा 1/2, धापा पत्नि जोरा हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 1160/1.40 हैक्टेयर मे से 20x3=60 वर्गमीटर खातेदार ललिता देवी पत्नि बाबूलाल, गणेश पिता बाबूलाल एवं सिवायचक खसरा नम्बर 1185 व 1186 गैरमुमकीन नला जिसके बहाव क्षेत्र को छोडकर मौके पर कदीमी रास्ता चालू है।

6. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मै, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि प्रार्थी को अपनी आराजी में आने–जाने का रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता मात्र जोत के सुविधापूर्ण उपयोग–उपभोग के लिए नहीं है, बल्कि रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता है। मौकास्थिति को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी को खसरा नम्बर 1190/0.44 हैक्टेयर मे से 88x3=264 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 1726/1191/0.64 हैक्टेयर मे से 100x3=300 वर्गमीटर कुल रकबा 564 वर्गमीटर खातेदार श्रवण देवी पत्नि मोहन, सुरेश, मुकेश पुत्रान मोहन एवं खसरा नम्बर 1184/0.42 हैक्टेयर मे से 60x3=180 वर्गमीटर की खातेदारी प्रेम देवी पुत्री जोरा हिस्सा 1/2, धापा पत्नि जोरा हिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 1160/1.40 हैक्टेयर मे से 20x3=60 वर्गमीटर खातेदार ललिता देवी पत्नि बाबूलाल, गणेश पिता बाबूलाल एवं सिवायचक खसरा नम्बर 1185 व 1186 गैरमुमकीन नला जिसके बहाव क्षेत्र को छोडकर कीमतन रास्ता दिया जाना सुविधाजनक एवं सर्वसुलभ है। प्रार्थना पत्र मे चाहा गया रास्ता उपयुक्त एवं सुविधाजनक, युक्तियुक्त व फिजीबल है। जहां तक रास्ता में गई भूमि की प्रतिकार राशि का संबंध है, प्रार्थी देने को तैयार है, इसके संबंध में तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिया जाना उचित है कि डीएलसी दर अनुसार गणना कर, डीएलसी दर की दोगुना राशि प्रार्थी से जमा कर उक्त राशि अप्रार्थीगण को अदा करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

27/9/12

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम लुहाकना कलां तहसील विराटनगर मे स्थित खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1190 मे से 88x3=264 वर्गमीटर, 1726/1191 मे से 100x3=300 वर्गमीटर, 1184 मे से 60x3=180 वर्गमीटर, 1161 मे से 20x3=60 वर्गमीटर भूमि को प्रार्थी के पक्ष में रास्ते के उपयोग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों का अवसान किया जाता है तथा गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया जाता है। तहसीलदार को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार प्रार्थी से डीएलसी दर की दोगुना राशि जमा कर इस प्रतिकार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त सार्वजनिक रास्ते मे किसी प्रकार की, किसी भी रूप में, किसी के भी माध्यम से बाधा उत्पन्न नहीं करें, किसी भी रास्ते के उपयोग–उपभोग से नहीं रोकें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड मे अमल करें, नक्शे मे आवश्यक तरमीम करें, मौके पर पालना करना सुनिश्चित करें, साथ ही रास्ता की भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 27/9/12 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/9/12

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)